नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

GCMS NO. 2022/480, प्रकरण 384/22, हल्का 1/1 हो.र.सा.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
01/24	हल बाड़ी गांव के तलब किये जाने के पश्चात हल बाड़ के नाम राज डिक्रीड़ की गई है। डिक्रीदार उपस्थित है। तकिकषड़ वादिया अथवा प्रार्थी पक्ष बाबते प्रार्थी पक्ष में कार्यवाही नहीं करने अवगत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रकरण में स्थिति व कब्जा व पेन्शन अब समाप्त करने के मामले में राजीनामा के मामले है प्रकरण में मेरे कोई कार्यवाही नहीं चाहते है अतः प्रकरण सही तौर पर दाखिल दफ्तर करावें। वादिया स्वयं उपस्थित है। लिखनीपश्चात उनके मुकिकल श्री योगेन्द्र सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह जाति राजपूत लिखसीगढ़ की मोहर उनके मुकिकल श्री अनिल कुमार पार्थ उपस्थित है। चूंकि प्रकरण में उभयपक्षकारान के मध्य मामले में समझौता के राजीनामा होकर प्रार्थीया स्वयं प्रकरण में मेरे कोई कार्यवाही नहीं चाहती है एवं प्रकरण सही तौर पर दाखिल दफ्तर चाहती है ऐसी स्थिति में प्रकरण में मेरे किसी प्रकार की कार्यवाही संभव नहीं है अतः प्रकरण सही तौर पर दाखिल दफ्तर किया जाता है एवं प्रकरण में डिक्री 28-09-2022 के समय शाहपुरा की आराजी खाता नं. 1161 किता 2 रकबा 0.15 है. पर, खाता नं. 2015 किता 1 रकबा 2.49 है. खाता नं. 961 किता 2 रकबा 0.99 है. पर जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को निरस्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद दफ्तर बाद राजस्व हल बाड़ के नाम अंकित हो।	अनिल - [illegible] के द्वारा Yogendra Singh Bhati अधिवक्ता प्रार्थी

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला-भीलवाड़ा (राज.)